सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम गोपाराम वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मु.नं. - 16/2020 विविध प्रार्थना पत्र वारिसान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 20-10-2020 को पेश हो।
20.10.2020	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण मृत्तक खातेदारान् श्रीमती मोहनी देवी पत्नि श्री हनुमान दरोगा, कालूराम पुत्र रामनाथ मीणा व कजोड़ पुत्र रामनाथ मीणा के कुल 14 वारिसान् को जारी नोटिसों की तामील असालतन होकर लौटी है। जो पर्याप्त है। बावजूद तामील उक्त खातेदारान् का कोई भी वारिसान् हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये है एंव ना ही किसी खातेदारान् के द्वारा कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र ही प्राप्त प्रस्ताव के विरूद्ध ही पेश किये गयें है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त खातेदारान् के वारिसान् अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने प्रस्ताव मे अंकित खसरा नम्बरान् में रास्ता मौके पर चालू होने बाबत अवगत कराया है तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर आमजन के आवागमन के काम में आना विदित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत ईकरारनामा दिनांक [illegible].01.2019 व समर्पण पत्र दिनांक 23.05.2020 की [illegible]प्रति अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमियों के अधिकांश खातेदारान् के द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते को ग्राम [illegible]वास से चौमूं पुरोहितान जाने वाली सड़क से सदा[illegible]खी की ढ़ाणी एंव मधुबन से होता हुआ सर्व समाज शमशान घाट वाया मीणों की ढ़ाणी से [illegible] आगे जाने तथा उक्त रास्ते [illegible] वर्षों से चालू होकर रास्ता [illegible] होना अपने ईकरारनामा में अंकित किया [illegible] है। प्रकरण में माननीया मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार जयपुर की बजट घोषणा 2015–16 को मध्य नजर रखते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्बन्धित खातेदारान् को सुनवाई का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सरकार बनाम् गोमाराम वगै0
विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता
मुकदमा नं. 16/2020

अवसर दिये जाने एंव खातेदारान् के द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में प्रचलित रास्ता मौके पर चालू होना अवगत कराया है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में अंकित भूमि खसरा नम्बरान् के प्रस्ताव प्रचलित रास्ता के सार्वजनिक हित में होने से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर सार्वजनिक हित में स्वीकार किया जाता है।

अतः श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 557/राजस्व/2020 दिनांक 03.06.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम आभावास पटवार मण्डल आभावास तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 55/1 रकबा 2.06 हैक्टर में से रकबा 0.0816 हैक्टर, 76 रकबा 0.55 हैक्टर में से 0.0272 हैक्टर, 318 रकबा 7.63 हैक्टर में से 0.0576 हैक्टर, 77 रकबा 0.72 हैक्टर में से 0.0112 हैक्टर, 2263/78 रकबा 0.86 हैक्टर में से 0.0128 हैक्टर, 2264/78 रकबा 0.14 हैक्टर में से 0.0028 हैक्टर, 89 रकबा 1.98 हैक्टर में से 0.0308 हैक्टर, 90 रकबा 2.51 हैक्टर में से 0.1688 हैक्टर, 119 रकबा 1.43 [illegible] में से 0.0136 हैक्टर, 122 रकबा 1.51 हैक्टर में से 0.0384 हैक्टर, 123 रकबा 1.85 हैक्टर में से [illegible] हैक्टर, 91 रकबा 3.15 हैक्टर में से 0.0448 हैक्टर, 111 रकबा 1.11 हैक्टर में से 0.0608 भूमियों को संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमियों में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एंव गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.20 17:42:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
11362/RA 20-10-20	सरकार बनाम् गोमाराम वगै0 विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा नं. 16/2020 भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जा है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्त निर्णय की प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि वे उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक-पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड की जावें एंव राजस्व नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एंव नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय मोहर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.06.20 17:42:06 IST Reason: SelfAttested (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)